



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 13 दिसम्बर, 2007

अग्रहायण 22, 1929 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

श्रम अनुभाग—6

संख्या 2336/36-6-2007-45(टी)-83

लखनऊ, 13 दिसम्बर, 2007

अधिसूचना

प0आ0-21

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित शिक्षु अधिनियम, 1961 (अधिनियम संख्या 52 सन् 1961) की धारा 24 की उपधारा (1), (4) और (5) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से समय-समय पर यथा संशोधित सरकारी अधिसूचना सं0 172-वि/36-6-87-45 (टी)-83, दिनांक 19 जुलाई, 1988 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

संशोधन

उपर्युक्त अधिसूचना में खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात:-

“(ख) निम्नलिखित व्यक्तियों को ऊपर खण्ड (ख) के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षता परिषद् का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य नियुक्त करते हैं, अर्थात् :—

1.	प्रमुख सचिव, श्रम विभाग।	अध्यक्ष
2.	श्री राम रतन कुरील, पुत्र श्री भीखू, निवासी जी० टी० रोड, कानपुर।	उपयाध्य
3.	उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश, कानपुर।	सदस्य
4.	निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, कानपुर, उत्तर प्रदेश।	सदस्य
5.	राज्य शिक्षता सलाहकार और निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उ०प्र०, लखनऊ	सदस्य
6.	संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण एवं शिशिक्षु कानपुर, इलाहाबाद मण्डल, कानपुर।	सदस्य
7.	निदेशक, शिक्षता परिषद्, भारत सरकार, काकादेव, कानपुर।	सदस्य
8.	निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश।	सदस्य
9.	डा० मुहम्मद इमरान, निदेशक, सुपर टेनरी, जाजमऊ, कानपुर।	सदस्य
10.	श्री सुनील वैश्य, फालकन इण्टरप्राइजेज, 147—बी उद्योग नगर, कानपुर।	सदस्य
11.	श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर।	सदस्य
12.	महाप्रबन्धक (का०प्र०—3) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।	सदस्य
13.	क्षेत्रीय निदेशक, पी०एच०डी० चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, 5—पार्क रोड, लखनऊ।	सदस्य
14.	निदेशक, उद्योग बन्धु, पिकअप भवन, गोमती नगर, लखनऊ	सदस्य
15.	श्री एम० पी० अग्रवाल, ब्रह्मणीपुरा, जैन मंदिर के पीछे, बहराइच।	सदस्य
16.	श्री मुजीब उल्लाह, काजीपुरा, बहराइच।	सदस्य
17.	क्षेत्रीय निदेशक (शिशिक्षु) उत्तरी क्षेत्र, भारत सरकार, कानपुर।”	सदस्य

आज्ञा से,
कपिल देव,
प्रमुख सचिव।